

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

अधिसूचना

सं0सं-06 / वन निगम-07 / 2019—

व0प0 / रांची दिनांक—

बिहार केन्द्र पत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम, 1973 (बिहार अधिनियम 5, 1974) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं संथालपरगना प्रमण्डलों के लिए एक-एक सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

क्र०	प्रतिनिधि	प्रस्तावित प्रतिनिधि का नाम एवं पता
1.	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची	
1.	आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल।	अध्यक्ष।
2.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।	विशेष आमंत्रित सदस्य।
3.	महाप्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना अंचल, राँची।	संयोजक-सह-सचिव।
सदस्यगण		
1.	केन्द्र पत्ती व्यापारी के प्रतिनिधि।	श्री रामनाथ गुप्ता, बुध बाजार, चंदवा, जिला-लातेहार।
2.	बीड़ी निर्माताओं के प्रतिनिधि।	श्री बजरंगलाल कुलूकेरिया, स्टेट बैंक रोड, सिमडेगा, जिला-सिमडेगा।
3.	केन्द्र पत्ती उगानेवाले अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि।	1. श्री निर्मल कुमार बेसरा, ठाकुरटोली, सिमडेगा, जिला-सिमडेगा। 2. श्री पौलुस बोदरा, कोलम्दा, जाते, मूरहू जिला-खूँटी।
4.	केन्द्र पत्ती उगानेवाले अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि।	श्री भीम स्वांसी, जारंगा, तमाड़, जिला-राँची।
5.	केन्द्र पत्ती उगानेवाले पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि।	श्री फिरोज अहमद, चन्दवा, जिला-लातेहार।
6.	केन्द्र पत्ती उगानेवाले सामान्य जाति के प्रतिनिधि।	श्री कृष्ण कुमार माथुर, ग्रा०-गोतरा, भोगता टोली, सिमडेगा, जिला-सिमडेगा।
7.	केन्द्र पत्ती से संबंध रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता / गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि।	श्री अशोक कुमार आनन्द, साकेत बिहार, सी०-१ हरमू जिला-राँची।
2.	कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा	
1.	आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा।	अध्यक्ष।
2.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य।
3.	महाप्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना अंचल, राँची।	संयोजक-सह-सचिव।
सदस्यगण		
1.	केन्द्र पत्ती व्यापारी के प्रतिनिधि।	श्री लक्खी चरण कुण्डू ग्राम-गंगाडीह, पोस्ट-हन्दीपोखर, जिला-पूर्वी सिंहभूम।
2.	बीड़ी निर्माताओं के प्रतिनिधि।	श्री रमेश भाई पटेल, ग्रा०-बंगाली टोला, पो०-चक्रधरपुर, जि०-प० सिंहभूम।
3.	केन्द्र पत्ती उगानेवाले अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि।	1. श्री कृष्ण डांगिल, ग्रा०-बुरुहुन्डरू, पो०-गोयलकेरा, जिला-प० सिंहभूम, पि०- 833103 2. श्री अंजन नायक, ग्राम-लौरिया, पो०-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम।

4.	केन्दू पत्ती उगानेवाले अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि ।	श्री कंचन कुम्हार, ग्राम—पुनीदा, पो0—गोविन्दपुर, सोनुआ, चक्रधरपुर, जि0—प0 सिंहभूम ।
5.	केन्दू पत्ती उगानेवाले पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि ।	श्री परेश चन्द्र महतो, ग्रा0—सिंद्वेश्वर, पो0—पाण्डुदा, था0—धालभूमगढ़, जि0—पूर्वी सिंहभूम ।
6.	केन्दू पत्ती उगानेवाले सामान्य जाति के प्रतिनिधि ।	श्री एजाजुल हक, जवाहरनगर, क्रास रोड न0—14, आजादनगर, मानगो, जमशेदपुर, जि0—पूर्वी सिंहभूम ।
7.	केन्दू पत्ती से संबंध रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता / गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि ।	श्री टिकैत चन्द्र प्रधान, पिता—स्व0 अर्जुन प्रधान, ग्रा0—डेलगापाड़ा, पो0—नया गाँव, था0—मङ्गगांव, जि0—प0 सिंहभूम ।
3.	<u>उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग</u>	
1.	आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग ।	अध्यक्ष ।
2.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ।	विशेष आमंत्रित सदस्य ।
3.	महाप्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना अंचल, हजारीबाग ।	संयोजक—सह—सचिव ।
	<u>सदस्यगण</u>	
1.	केन्दू पत्ती व्यापारी के प्रतिनिधि ।	मे0 एहसान, लाईन मोहल्ला, रहमत चौक, चतरा जि0— चतरा, मो0—9110105306 ।
2.	बीड़ी निर्माताओं के प्रतिनिधि ।	श्री अजहर ईमाम, ग्रा0—बादम, पो0—बादम, जि0—हजारीबाग, मो0—8294135678 ।
3.	केन्दू पत्ती उगानेवाले अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि ।	1. श्री जानकी कोडा, ग्रा0—अलारगो, पो0—भंडारीदह, था0—चन्द्रपुरा, जि0—बोकारो, मो0—9431324238 । 2. दीनानाथ बेसरा, पिता—लुथरु मांझी, ग्रा—गोदली टांड (लहरीयाडी) पो0—कोनार डैम, जि0—हजारीबाग, मो0—8002642503 ।
4.	केन्दू पत्ती उगानेवाले अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि ।	श्री जगरनाथ राम, ग्राम+पो0—बेरमो, जिला—बोकारो, मो0—9431526937 ।
5.	केन्दू पत्ती उगानेवाले पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि ।	श्री मोजाहिद हुसैन, मोहल्ला—फ्रेन्ड्स कॉलोनी, पगमल, हजारीबाग, मो0—9431155286 ।
6.	केन्दू पत्ती उगानेवाले सामान्य जाति के प्रतिनिधि ।	श्री शेर मोहम्मद खान, ग्रा0—ढोठवा, पो0—कटकमसांडी, जिला—हजारीबाग, मो0—9430190788 ।
7.	केन्दू पत्ती से संबंध रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता / गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि ।	मो0 ईलाही, बिन्द मुहल्ला, चतरा, जि0— चतरा, मो0—9631038222 ।
4.	<u>पलामू प्रमण्डल, डालटनगंज</u>	
1.	आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, डालटनगंज ।	अध्यक्ष ।
2.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू ।	विशेष आमंत्रित सदस्य ।
3.	महाप्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना अंचल, हजारीबाग ।	संयोजक—सह—सचिव ।
	<u>सदस्यगण</u>	
1.	केन्दू पत्ती व्यापारी के प्रतिनिधि ।	श्री प्रमोद प्रसाद, इंजीनियरिंग रोड, डालटनगंज, जिला— पलामू । मो0—7546831925 ।
2.	बीड़ी निर्माताओं के प्रतिनिधि ।	श्री सुभाष भाई पटेल, नावाटोली, डालटनगंज, जिला—पलामू, मो0—9431138321 ।

3.	केन्दू पत्ती उगानेवाले अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि ।	1. श्री सुखदेव सिंह, ग्रा+पो0—बान्दू थाना—गोदरमाना, जिला—गढ़वा, मो0—7247074503 । 2. श्री वंशीधर सिंह, ग्रा+पो0—अम्बाखोरेया, थाना—धुरकी, जिला—गढ़वा, मो0—8969129263 ।
4.	केन्दू पत्ती उगानेवाले अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि ।	श्री अमरदीप बैठा, दिपुवाँ मुहल्ला वार्ड नं0—06, पो0+था0+जि0—गढ़वा, मो0—9798571163
5.	केन्दू पत्ती उगानेवाले पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि ।	श्री वासुदेव प्रसाद यादव, ग्रा+पो0—डोल, जिला—गढ़वा, मो0—7482938825 ।
6.	केन्दू पत्ती उगानेवाले सामान्य जाति के प्रतिनिधि ।	श्री प्रगस्त तिवारी, ग्रा0—नावाखाश, पो0—नावाजयपुर, जिला—पलामू, मो0—9771575397
7.	केन्दू पत्ती से संबंध रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता / गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि ।	श्री सुरेश प्रसाद जयसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम—टण्डवा, पो0+था0+जि0—गढ़वा, मो0—8757028225 ।
5.	संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका	
1.	आयुक्त, संथालपरगना प्रमण्डल ।	अध्यक्ष ।
2.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका ।	विशेष आमंत्रित सदस्य ।
3.	महाप्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना अंचल, देवघर ।	संयोजक—सह—सचिव ।
<u>सदस्यगण</u>		
1.	केन्दू पत्ती व्यापारी के प्रतिनिधि ।	श्री राजेश कुमार, वल्द श्री लक्ष्मण प्रसाद भगत, मो0+पो0—नोनीहाट, जिला—दुमका, मो0—9934525963 ।
2.	बीड़ी निर्माताओं के प्रतिनिधि ।	श्री राम बाबू त्रिपाठी, जी0एम0, एस0बी0डब्ल्यू0लि0, मो0+पो0—जसीडीह, जिला—देवघर, मो0—9771528182 ।
3.	केन्दू पत्ती उगानेवाले अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि ।	1. श्री सुनील मालतो, पिता—डेवीड सुरजा मालतो, ग्राम—चंदना, पो0—भद्रिया, थाना—राजाभीठा, जिला—गोड़डा, मो0—8809380125 । 2. श्री शिवलाल दुड़ु वल्द श्री बेटका दुड़ु, ग्रा+पो0—डमरुहाट, थाना—सुन्दरपहाड़ी, जिला—गोड़ा, मो0—7870630536 ।
4.	केन्दू पत्ती उगानेवाले अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि ।	श्री शंकर रविदास, ग्राम—तोराई, थाना—हिरणपुर, जिला पाकुड़, मो0—9572872482 ।
5.	केन्दू पत्ती उगानेवाले पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि ।	श्री सज्जन कुमार कमल, वल्द श्री कमल भगत, ग्रा+पो0—पोड़ैया हाट, जि0—गोड़ा, मो0—9973000131 ।
6.	केन्दू पत्ती उगानेवाले सामान्य जाति के प्रतिनिधि ।	श्री अनिरुद्ध प्रसाद साह वल्द स्व0 धनेश्वर प्रसाद साह, ग्रा+पो0—गोलबंधा, जि0—दुमका, मो0—9955525364 ।
7.	केन्दू पत्ती से संबंध रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता / गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि ।	श्री निरंजन मंडल, पिता—श्री दिगम्बर मंडल, ग्रा+पो0+थाना—राजाभीठा, जिला—गोड़डा, मो0—9113107062 ।

- समिति की कार्यावधि 30 जून, 2020 तक के लिए होगी ।
- समिति राज्य सरकार को दिनांक 01 जुलाई, 2019 से प्रारंभ और 30 जून 2020 को समाप्त होने वाले सौसम तर्फ के लिए जिस कीमत पर राज्य सरकार या उसके पार्श्वकारी या प्रत्येक

उगानेवालों से केन्द्र पत्ती खरीद सकें, उस कीमत के संबंध में अपना परामर्श देगी। प्रत्येक समिति राज्य सरकार की भूमि पर उगानेवाली केन्द्र पत्तियाँ तथा उनसे भिन्न उगानेवालों की केन्द्र पत्तियों के लिए अलग-अलग दरों के निर्धारण के लिए परामर्श/अनुशंसा अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से सरकार को उपलब्ध करायेगी।

3. समिति के गैर सरकारी सदस्य यात्रा भत्ता के संबंध में प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी के समकक्ष माने जायेंगे और उनको नियमानुसार दैनिक भत्ता देय होगा।
4. गैर सरकारी सदस्य जो विधानसभा/संसद के सदस्य हों, उन्हें राँची में भाग लेने के लिए राँची जाने पर यात्रा-भत्ता तभी अनुमान्य होगा जब विधानसभा/संसद जिसके सदस्य हों, का सत्र नहीं चलता हो।
5. समिति के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा-भत्ता का भुगतान समिति के संयोजक-सह-सचिव-सह-महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि०, राँची द्वारा किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(देव कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

झापांक-06/वन निगम-07/2019-

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई-गजट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

व0प0, राँची, दिनांक—

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

झापांक- 06/वन निगम-07/2019—

प्रतिलिपि—माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

व0प0, राँची, दिनांक—

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

झापांक-06/वन निगम-07/2019—

व0प0, राँची, दिनांक—

प्रतिलिपि—महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


सरकार के अवर सचिव

झापांक-06/वन निगम-07/2019— 4158

व0प0, राँची, दिनांक— 25/10/2019

प्रतिलिपि—सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त झारखण्ड/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. समितियों के संयोजक-सह-सचिव से अनुरोध है कि इस संबंध में अविलंब बैठक आहुत कराकर अनुशंसा सरकार को समस्य उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


सरकार के अवर सचिव